SOME HON. MEMBERS: The Prime Minister has voted against!

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): It was by mistake. It may please be corrected as 'for'.

MR. SPEAKER: By mistake she has pressed the wrong button. Now she wants it to be corrected.

श्री कंवर लाल गुप्त : बोर्ड पर जो इंडिकेशन है उस में करेक्शन कैसे हो सकता है ? हां, अगर प्रधान मंत्री कह रही हैं कि वह हिन्दी के खिलाफ हैं, तो ठीक है ।

MR. SPEAKER: We have permitted that in the past.

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं हिन्दी के खिलाफ नहीं हूं ।

MR. SPEAKER: The result of the Division is: Ayes—181; Noes—25.

The motion was adopted.

SHRI Y. B. CHAVAN: Sir, I introduce the Bill.

13.17 HRS.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at seven minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

RE: QUORUM IN THE HOUSE

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I have a submission to make. You know that it took about ten minutes to have quorum in this House just now. We decided in the Whips' Conference that it is the primary responsibility of the ruling party to have quorum in the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Could he not communicate with the concerned Minister?

SHRI S. M. BANERJEE: It applies to you. My party people came here at 2 P.M. We are not going to get more than Rs. 31 for this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not fair. The House adjourned a bit late. They wanted time for lunch. That must be taken into consideration.

SHRI S. M. BANERJEE: You should have fixed 2.20 then. I could not have a grub.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): You could fix it even at 4.20.

14.09 HRS.

COURT FEES (DELHI AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Court-fees Act, 1870, as in force in the Union Territory of Delhi, be taken into consideration".

This is a short Bill which seeks to amend the Court-fees Act of 1870. The House will remember that a few months back we enacted a legislation to provide for a High Court for the Union Territory of Delhi. When this High Court for the Delhi Union Territory was constituted, we transferred the ordinary original civil jurisdiction for civil suits of the value exceeding Rs. 25,000 to it. Before this provision was made, suits of this amount were presented in the District Court and regular court fee was charged.

Section 4 of the Court Fee Act contains a provision for charging fees in matters coming up before the High Court, but after some time a question was raised whether that court fee could be levied under that section in suits which are filed in the High Court in view of ordinary original civil jurisdiction. After the point was examined, it was found that no court fees could be levied by the High Court under that section.

As would be apparent, it was not the intention of the Government that no court fee should be charged on suits of the value exceeding Rs. 25,000, but this came about because of the lacuna in the Delhi High Court Act which was passed by this hon. House. A draft Bill to correct this lacuna was taken up. It was sent to the Metropolitan Council and it processed the Bill, and when it came to us it was a little late and we could not put it up before Parliament because of very heavy backlog of legislative business that was pending here, and we had to issue an ordinance to see

firstly that the litigants were not harassed by unnecessary filing of suits beyond Rs. 25,000 limit and secondly to see that there was no loss of revenue to Government. The loss of revenue to the Government which was occasioned by lack of this provision was to the tune of Rs. 1 lakh per month, and after the promulgation of the ordinance this was corrected, and now the Government has come before this hon. House to bring forth an amending Bill to replace the ordinance.

I hope that, in view of the non-controversial and non-political nature of this Bill, the House will give its support to this amending Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Court-fees Act 1870 as in force in the Union territory of Delhi, be taken into consideration."

श्री सरजू पाण्डे (गाज़ीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि 1870 के कोर्ट फीस एक्ट को वह इस लिये एमेंड करना चाहते हैं कि चूंकि सरकार उस एक्ट के मुताबिक कोर्ट फीस नहीं ले सकती थी, इस लिये सरकार को बराबर हानि हो रही थी ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : पुराने एक्ट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो केसेज़ जाते थे, हम उन पर कोर्ट फीस लेते थे, लेकिन नये एक्ट में यह खामी रह गई कि हाई कोर्ट में जाने वाले मुकदमों पर कोर्ट फीस नहीं ली जा सकती थी । उस खामी को दूर करने के लिये यह बिल लाया गया है ।

श्री सरजू पाण्डेय : आवश्यकता यह है कि हमारे देश में न्याय सस्ता हो । माननीय मंत्री महोदय ने यह तर्क दिया है कि चूंकि लोग गैर-ज़रूरी तौर पर कोर्ट में आ जाते हैं, इस लिये पच्चीस हज़ार रुपये तक के मुकदमों पर कोर्ट फीस लेना ज़रूरी है । अच्छा तो यह होता कि मंत्री महोदय पूरे देश के लिये एक ऐसा कानून लाते, जिस से देश के साधारण लोग अदालतों में न्याय प्राप्त कर सकते । आज हालत यह है कि जिन हज़ारों लाखों गरीब लोगों को मुन्सिफ की अदालत में मुकदमा दायर करना पड़ता है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, वे बहुत सफर करते हैं और न्याय नहीं पाते हैं ।

बजाये इसके कि एक ऐसा कानून लाया जाता, जिस से देश के लोगों को न्याय सस्ता मिलता, मंत्री महोदय कानून की कुछ इर्रेगुलेरिटीज़ को दुरुस्त करने जा रहे हैं, जिस से दिल्ली में भी रिट्स और दूसरे मुकदमों में उसी तरह से कोर्ट फीस ली जाये, जिस तरह कि दूसरी जगहों में ली जाती है। मेरा निवेदन है कि हमारे देश में न्याय बहुत महंगा है । पिछली दफा जब इस सदन में इलेक्शन पेटीशन्ज़ के सिलसिले में बिल आया था, तो यह कहा गया था कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मुकदमे देखे जाने से ज्यादा से ज्यादा मुकदमे दायर किये जाते हैं, इस लिये उन को हाई कोर्ट भेजा जाये । हाई कोर्ट की हालत यह है कि जो माननीय सदस्य हाई कोर्ट में पेटीशन लड़ रहे हैं, उन को मालूम है कि हाई कोर्ट कितने मुकदमों को लिंगर आन कर रहे हैं । जो मेम्बर यहां आ गये हैं, छोटी से छोटी इर्रेगुलेरिटी पर उन को पेटीशन हारनी पड़ती है और परेशानी उठानी पड़ती है । सरकार जनता को सस्ता न्याय तो दे नहीं सकती है, बल्कि वह लोगों को मुकदमों में और ज्यादा उलझाये जा रही है ।

मैं निवेदन करूंगा कि सारे देश के लिये एक ऐसा कानून लाया जाये, जिस के अनुसार कोर्ट फीस माफ हो । कोर्ट फीस की कोई ज़रूरत नहीं है । अगर ऐसा न किया जायेगा, तो चाहे कितने भी कानून बनाये जायें, केवल पैसे वाले लोग ही अदालतों में जा सकेंगे और उन कानूनों से फायदा उठा सकेंगे । गरीब आदमियों के लिये इस देश में जीना मुश्किल हो गया है ।

इस कानून को वापस लिया जाये और एक ऐसा कानून लाया जाये, जिस से कोर्ट

[श्री सरजू पाण्डेय]

फीस को बिलकुल समाप्त कर दिया जाये। हर एक आदमी को यह आज़ादी हो कि वह अदालत में जा कर अपनी बात कहे और न्याय पाने की कोशिश करे। आज हमारे देश में वकील महंगे हैं, कोर्ट फीस महंगी है। फिर भी सरकार की ओर से यह दावा किया जाता है कि हम लोगों को न्याय देंगे। आज की स्थिति में केवल पैसे वाले ही अदालतों से फायदा उठाते हैं और गरीब आदमियों को उन से कोई फायदा नहीं है।

इस शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं। मंत्री महोदय इस को पास न करायें। आर्डिनेन्स उन के पास है। वह उसी से काम चलायें और बाद में एक काम्प्रिहेंसिव बिल लायें, ताकि किसी को कोर्ट फीस न देनी पड़े और इस देश के सब नागरिकों को सस्ता न्याय मिल सके।

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): Sir, though the Minister has characterised the Bill as non-controversial and innocuous, I would like to remind him that this is a country where the people are poor, and that this Act of creating the High Court of Delhi in this year of grace, when the question is of economy, requires to be defended. Was there any necessity to have a High Court separately for Delhi when this would add to the expenses of Government, add to the taxes which the people would have to pay and, more than that, add to the expenses of litigation of the common people? To confer a jurisdiction above Rs. 25,000 to the High Court, as far as I am aware, is an exception. The Minister may be able to say how he compares that jurisdiction of High Courts in other States. As far as I can remember, the jurisdiction is at a much higher level.

The second point which my hon. friend has made is this. You are raising the court-fee. Is it fair at this time, first of all, to change the jurisdiction, and secondly, to raise the court-fees from something like Rs. 2.50 to Rs. 5.00. There again the Minister may enlighten us about the court-fees in other States and even if they are comparable, he may justify the increase for Delhi which, as I said, will now include litigants of a smaller denomination, those who go in for suits above Rs. 25,000.

Thirdly,—this is the general objection—that Government find one reason or another to pass an ordinance and then ask the House to confirm it by legislation. So much time has elapsed for an Act to have been brought up before this House earlier. There may be backlog of business, but it is up to Government, up to the leader of the party, to see that these ordinances do not replace Bills, that these ordinances do not take away the right of the people, the right of the Parliament, to discuss the measure and this legislation at the earliest opportunity.

श्री हुकम चंद कछवाय (उज्जैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल आया है, अगर मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे तो इस समय दिल्ली के अन्दर हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के अन्दर हजारों केसेज़ ऐसे पड़े हुए हैं जिन को चार-चार, पांच-पांच साल हो गए हैं या सात-सात साल भी हो गए हैं। तो यह केस जल्दी से जल्दी निपटाये जायें। इस के लिए इस की सीमा बांध दी जाये। और आम तौर पर गरीब लोगों को यह न्याय इतना मंहगा पड़ता है कि जिस से वह बहुत परेशान होते हैं। इसके अलावा न्यायालय के अन्दर ऐसी एक भाषा में कार्यवाही होनी चाहिए कि जो व्यक्ति केस ले कर जाता है वह उसे ठीक प्रकार से समझ सके। अधिकांश ऐसे गरीब लोग हैं कि जो अनपढ़ हैं जिन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती, लेकिन यहां न्यायालयों में सारी कार्यवाही दिल्ली में आम-तौर पर अंग्रेजी में होती है। उन के केस में जो कुछ भी चर्चा होती है या बहस होती है वह अंग्रेजी में होती है और उसे कुछ भी पता नहीं रहता कि क्या चल रहा है। मेरे बारे में मेरा वकील किस प्रकार से टैकिल कर रहा है मेरा वकील मेरे केस को किस प्रकार से रख रहा है और सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है? इसलिए जो भी कार्यवाही कोर्ट के अन्दर हो

वह हिन्दी में होनी चाहिए और न्याय सस्ता मिलना चाहिए।

इन कोर्टों के अन्दर इतना अधिक भ्रष्टाचार फैल गया है उपाध्यक्ष महोदय, इतनी अधिक रिश्वत देनी होती है कि एक साधारण गरीब आदमी तो किसी भी कीमत पर वहां जा कर न्याय नहीं पा सकता। चाहे उस का केस कितना ही सच्चा हो परन्तु पैसे में वह ताकत है और भ्रष्टाचार के अन्दर वह कला है कि अच्छा केस भी बिगड़ जाता है। तो माननीय मंत्री महोदय इन बातों पर विशेष ध्यान रखते हुए इस बात का प्रयत्न करें, एक तो कोर्ट फीस कम हो, न्याय सस्ता मिले और सारे देश में यह प्रथा लागू हो, दिल्ली में भी कि केस साल डेढ़ साल से अधिक नहीं चलना चाहिए। यह जल्दी निपटें तो मैं समझता हूं कि काफी इससे लोगों को राहत मिलेगी। यह जो सात-सात साल तक केस लकटके रहते हैं यह बन्द होना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक का मैं भी विरोध कर रहा हूं क्योंकि आज के समय लोगों के ऊपर फिर भले ही किसी कारण से क्यों न हों; आर्थिक बोझा बढ़ाना हम पसंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यह चाहेंगे कि जिस विधेयक को आज मंत्री महोदय यहां पर ला रहे हैं और लाते वक्त यह कह चुके हैं कि कई वर्षों से इस परिस्थिति को कुछ सुधारना था तो उस को आज हम सुधारने जा रहे हैं, तो अगर यह मामला इतने वर्षों तक अधिक आप को ऐसे ही रखते हुए कोई तकलीफ न रही तो कुछ दिनों के लिए और इस मामले को स्थगित रखा जाये। साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, जिस बात को श्री कछवाय जी ने यहां पर रखा कि न्याय लोगों को जल्दी मिले इस के बारे में हम चाहेंगे कि सरकार की ओर से कुछ गंभीरता से विचार हो जाये। अंग्रेजी में तो मैं समझता हूं कि ऐसी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और यह अध्यक्ष महोदय, आज सारे हिन्दुस्तान के बारे में हम कह सकते हैं कि हर जगह पर चूंकि न्याय बहुत बहुत देर से मिलता है इसलिए लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। बम्बई के हाई कोर्ट के बाहर आज दो महीने के पहले कुछ नागरिकों ने एक निदर्शन किया था। अदालत के खिलाफ वह निदर्शन नहीं था, सरकार के खिलाफ असल में वह निदर्शन था। निदर्शकों ने वहां पर कुछ फलक लगाये जो अभी भी मौजूद हैं बम्बई हाईकोर्ट के दरवाजे पर जिस में यह बताया है कि कितने वर्षों से कितने मुकदमे बम्बई के हाई कोर्ट में वैसे ही पड़े हैं। मैं समझता हूं कि करीबन 20 हजार मुकदमे आज चार पांच वर्षों से वहां पर पड़े हुए हैं जिन पर फैसला नहीं हुआ है। वही स्थिति सिटी सिविल कोर्ट्स और स्माल काजेज कोर्ट्स के बारे में भी है। पांच-पांच, सात-सात, दस-दस वर्ष तक लोगों को अदालतों के दरवाजे देखने-पड़ते हैं और न्याय नहीं मिलता है। इंडस्ट्रिअल कोर्ट्स की भी बात वही है और मजदूरों से संबंधित जो मुकदमें रहते हैं जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, मैं आप को इतना ही बताऊंगा कि 1960-61 या 1961-62 का बोनस का मामला कहीं 1967-68 में इन अदालतों से हल होता है। पांच-सात सालों के बाद इस तरह के मामले हल हो जाते हैं लेकिन जहां एकाध मजदूर को या ज्यादा मजदूरों को काम से निकालने की बात हो गई, उस मसले को इंडस्ट्रिअल कोर्ट में हल करने के बाद मालिक ने अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया तो पांच सात साल वह अपील वहीं पड़ी रहती है। वैसी स्थिति में उस मजदूर की क्या हालत हो सकती है इस को शायद उस तरफ बैठे हुए लोग अन्दाज नहीं लगा पायेंगे मगर हम अन्दाज लगा सकते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम आज इस विधेयक का विरोध करते हुए भी सरकार से इतना तो जरूर अपील करना चाहेंगे कि लोगों को न्याय बहुत जल्दी मिले इसके लिए तत्काल कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। बम्बई में हाई कोर्ट के सामने

[श्री जार्ज फर्नेन्डीज]

अभी जो निदर्शन हो रहे हैं, जो फलक लगाने में आये हैं, उन की जांच केन्द्र सरकार की ओर से की जाय और सारे भारत भर में अलग-अलग हाईकोर्ट में, स्माल काज़ेज कोर्ट्स में या सिटी-सिविल कोर्ट्स में भी कितने वर्षों से कितने मुकदमे पड़े हैं इस के बारे में तत्काल कुछ जांच करने का काम हो जाये ताकि लोगों को न्याय वक्त पर मिले जिससे कि उस को न्याय कर के कहा जाये। अगर वक्त पर वह न्याय नहीं मिलेगा तो फिर लोगों पर अन्याय जो होता है वह आगे भी होता रहेगा। इतना कह कर अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का सख्त विरोध करता हूं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार न्याय को सस्ते होने के बारे में या न्याय जल्दी देने के बारे में कहे हैं उस से हम लोग सिद्धान्ततः सहमत हैं। उस में कोई दो रायें हो नहीं सकतीं और जैसा कि माननीय सदन को मालूम है सरकार के द्वारा ला कमीशन की नियुक्ति की गई है जो इन सब कामों की जांच कर रही है। उन की सिफारिशें आने पर जहां जहां न्याय व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश होगी या जहां सुधार हो सकते हैं वहां उस तरह के सुधार न केवल केन्द्र सरकार के द्वारा बल्कि मुख्य रूप से राज्य सरकारों के द्वारा किए जायेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ खास सवाल इस बिल के बारे में उठाये। इस में एक सवाल यह है कि कोर्ट फीस को समाप्त कर देना चाहिए जिससे कि गरीबों का फायदा हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोर्ट फीस का जो प्रश्न है उस को यदि साधारण तौर से लिया जाये तो वह तो गरीबों को बचाने के लिए लगाया जाता है क्योंकि नहीं तो जो धनी व्यक्ति हैं वह मनमाने ढंग से अनगिनत मामले अदालतों में पेश कर सकते हैं जिस में एक पैसा भी उन का नहीं लगेगा और महंगे-महंगे वकील रख कर गरीबों को तंग कर सकते हैं। गरीब लोग इतने महंगे और बड़े वकीलों को ला नहीं सकेंगे। यह मैं आप को एक थ्योरिटिकल संभावना बतला रहा हूं। इस तरह से इस के कई पहलू हैं। यह बात कहना कि इससे गरीबों का नुक्सान होता है और अमीरों का फायदा होता है यह बात नहीं है। सिद्धांततः यह बात मानी गई है कि इस तरह के जो अदालत में केस आते हैं उन में थोड़ी बहुत कोर्ट फीस जरूर लगनी चाहिए और लगती रही है, कहीं कम कहीं ज्यादा।

माननीय सदस्य श्री लोबो प्रभु ने इस के बारे में प्रश्न किया कि कितनी कोर्ट फीस दूसरे राज्यों में लगती है और उस की क्या दर है? अलग-अलग राज्यों में इस की दर अलग-अलग है। आन्ध्र प्रदेश में जहां सौ रुपये लगते हैं गुजरात, हरयाना, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 50 रुपये लगते हैं। दिल्ली के चूंकि आसपास यही राज्य हैं इसलिए हम लोगों ने भी इस का रेट दिल्ली के लिए 50 रुपये रखा है।

हुकम चंद कछवाय जी ने एक प्रश्न यह किया कि दिल्ली के अन्दर जाने कितने मुकदमे सालों से पड़े हुए हैं। उन का निपटारा नहीं होता इसी निपटारे को आगे बढ़ाने के लिए, जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके, इसलिए यहां पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई। पहले यहां पंजाब हाई कोर्ट की एक सर्किट बेंच थी। उस के सामने केसेज और भी लम्बे चलते थे। उनका निर्णय जल्दी नहीं हो पाता था। सालों चलते रहते थे। उन मुकदमों को जल्दी निपटाने के लिए ही दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना की गई और जब दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना करने का विधेयक माननीय सदन के सामने आया था उस समय उस पर काफी चर्चा हुई थी। और अधिकांश सदस्यों की यह राय थी कि दिल्ली में हाईकोर्ट होना आवश्यक है और इस माननीय सदन के मंजूर करने के बाद ही दिल्ली में ऐसे हाईकोर्ट की स्थापना हुई है। जैसा कि मैंने पहले कहा कुछ कानूनी खामियों के कारण लोग

इसका फायदा उठाते थे और लगभग एक लाख रुपये का सरकार को हर महीने नुक़सान इस खामी के कारण हो रहा था। उस खामी को दूर करने के लिए आर्डिनेन्स एकदम से लागू कर दिया गया। अब हम इस विधेयक के द्वारा उस आर्डिनेन्स को बदल कर इस कानून में शामिल कर रहे हैं और आशा है कि सदन इस को मंजूर करेगा।

श्री हुकम चंद कछवाय : यह जो अदालतों में इतने केसेज़ वर्षों से पडिंग पड़े हैं उन के बारे में कोई जांच कमेटी क्या मंत्री महोदय बैठाने जा रहे हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : ला कमिशन इस बारे में देख रहा है कि कैसे इस देर को खत्म किया जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill further to amend the Court-fees Act, 1870, as in force in the Union territory of Delhi, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are no amendments to the clauses; so, I shall put all the clauses together to the vote of the House. The question is :

"That clauses 2, 3, 4 and 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2, 3 4 and 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill be passed."

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो सवालात आज मंत्री महोदय के सामने रखे गये हैं उन का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। उस का कारण एक ही है कि हाईकोर्ट के बारे में हम लोग ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, जजेज़ के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन उपाध्यक्ष महोदय हम लोग भी आखिर केसेज़ लड़ते हैं हाईकोर्ट तक जाते हैं चाहे वह ट्रेड यूनियन का मामला हो या कोई दूसरा मामला हो आम तौर से देखा गया है कि हाईकोर्ट में जाने के माने यह हैं कि जिसका मुकद्दमा हो वह अगर जिन्दा रह गया तो देख लेगा कि क्या हश्र होता है ? लेकिन 6-7 और 8 साल इस तरीके से केसेज़ के निपटने में लग जाते हैं। बम्बई हाईकोर्ट के बारे में कितने वहां पर पैंडिंग हैं केसेज़, उस का एक चित्र मेरे परम मित्र श्री जार्ज फरनेन्डीस ने खींचने की कोशिश की। इस से पहले आप को खयाल हो कि जब यहां पर हाई कोर्ट के जजेज़ को बढ़ाने की बात आई तो उस का एक कारण यह था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट या दूसरे हाईकोर्ट में 20,000, 30,000 केसेज़ इस तरीके से पैंडिंग रहते हैं। हो सकता है कि यह कोर्ट फीस बढ़ाने का कोई खास कर कारण होगा बाकी मैं समझता हूं कि यह ग़लत है। मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस का स्पष्टीकरण करें कि क्या वाक़ई देश में हाईकोर्ट के जजेज़ की कमी है ? जब जजेज़ का ऐपाएंटमेंट भी करते हैं तो भी हम लोगों ने देखा कि वह बाहर से किया जाय या रुलिंग जजेज़ को दिया जाय तो उस में भी ऐसे व्यक्तियों को कभी-कभी चुन लेते हैं और जोकि पोलिटिकल कंस्डिरेशन के आधार पर होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जहां पर गैर-कांग्रेसी हुकूमत है तो उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान में कहा कि 8 आदमियों या 9 आदमियों के नाम उन के पास आये और वह केवल तीन आदमियों के बारे में सिफारिश कर सके क्योंकि हाईकोर्ट में जिस व्यक्ति को जज की हैसियत से आना चाहिए था वह नहीं आया। दूसरे मंत्री महोदय

[श्री स० मो० बनर्जी]

से मैं चाहूंगा कि वह यह बतलायें कि यह अदालतों में ऐरियर्स किस तरीके से खत्म हों उस के बारे में वह क्या इंतजाम कर रहे हैं इस के बारे में उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है। बहरहाल हम लोग तो भिखारी सरीके हैं कि जो दे उस का भला और न दे उस का भी भला। क्या मंत्री महोदय इस समय भी इस बारे में कुछ विचार करेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : एक मिनट में मैं इस के बारे में बतला दूं । माननीय सदस्य श्री बनर्जी जो बोले वह स्वयं इस बात को जानते हैं कि आज अदालतों में और खासकर हाई कोर्ट में जो देर होती है वह उतनी जजेज की कमी की कारण नहीं होती जितनें कि कानून की पेचीदगियों के कारण होती है। कानून व नियम आदि आज इतने पेचीदा और लम्बे बने हैं कि यदि कोई आज मुकद्दमों में देर करना चाहे तो वह कानूनी तरीकों को अपना कर सालों को देर कर सकता है। इसी तरीके से कई और भी चोजें काम में लाते हैं जिनके कारण देर होती है। जजेज की तादाद में कमी होना भी इसका एक कारण हो सकता है पर असल में मुख्य कारण यह नहीं है यह मैं सदन को बतलाना चाहता हूं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : न्याय जल्दी मिलना चाहिए और दूसरे वह उस भाषा में हो जिसे कि गरीब लोग समझ सकें। वह हिन्दी भाषा में होना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is all. The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

14.35 HRS.

COTTON TEXTILE COMPANIES (MANAGEMENT OF UNDERTAKINGS AND LIQUIDATION OR RECONSTRUCTION) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall now take up the consideration of the Cotton Textile Companies Bill. Shri Dinesh Singh.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : How many hours have been allotted to this Bill ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : 3 hours have been proposed by Government.

श्री हुकम चन्द कछवाय : इस पर कम से कम पांच घंटें का समय होना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let us see how the debate progresses.

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move* :

> "That the Bill to provide in the public interest for the liquidation of cotton textile companies while keeping the undertakings thereof as running concerns, or for the reconstruction of cotton textile companies, in certain cases and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Sir, the House is aware that cotton textile industry is our oldest organised industry. In fact, our record in the manufacture of cotton textiles goes back to days much further than any organised industry came into this country. Our cotton textiles were not only known in India but were prized all over the world. Many people feel that it is, to some extent, cotton textiles that attracted many travellers to come here resulting into our domination. It was so highly prized that when foreigners came here, and they were not able to compete with us, we found that some of our best craftsmen who were engaged in this industry had to undergo a lot of suffering so that the textile industry in other countries could be built up. For many years, since we set up the organised sector in this country, this has been yielding profit to many big concerns which have now become very big and very famous.

Today, we have about 618 mills, 329 spinning mills and 289 composite mills. All this has been built up over the years with great patience and also with great effort. New mills have come up. Some of them are as good as textile mills any-

*Moved with the recommendation of the President.